फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

महादेव बनाम लेखराज वगै0

मा नम्बर : 135/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनु0। प्रतिवादीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई तथा अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 04.10.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
04.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस का मनन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 4 बिस्वा नवीन खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0506है0 की भूमि पर वादी द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल, बांधा व्यवधान नही करें तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे व उपयोग उपभोग में बांधा उत्पन्न नही करें एवं वादी को बेदखल नही करें एवं उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं ही करे अपने भाई बन्धुओ, ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार, परिवारजन व अन्य लोगो से भी ना करावें। अतः पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 249 में वादी एवं प्रतिवादीगणों के तकासमा/बंटवारा शुद्वा भूमि नही है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सह खातेदार है। ऐसी स्थिति में सह खातेदारों को पाबन्द नही करवाया जा सकता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणिय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	